



विज्ञापन सं. 01/2026  
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा  
निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु  
(वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> के माध्यम से)  
ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं

### रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति संख्या 26030101428) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में मानव विज्ञानी (सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग) के पद के लिए एक रिक्ति।  
आरक्षण की स्थिति:

(अ.पि.व.-01)

यह पद आरक्षित नहीं है बल्कि केवल पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार हैं:

1. पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्तता : 40% एवं उससे अधिक					
पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ) एवं (ङ)
		0	0	0	0
क्रम सं.	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी	पीडब्ल्यूबीडी उप- श्रेणी		उपयुक्तता (हाँ/नहीं)	आरक्षण (हाँ/नहीं)
(क)	दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि	बी - दृष्टिहीन		नहीं	नहीं
		एलवी - अल्प दृष्टि		नहीं	नहीं
(ख)	बधिर और उंचा सुनने की अक्षमता	डी - बधिर		नहीं	नहीं
		एचएच - उंचा सुनना		हाँ	नहीं
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास, रीढ़ की हड्डी में विकृति और बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग	बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं		नहीं	नहीं
		बीए - दोनों हाथ प्रभावित		नहीं	नहीं
		ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)		हाँ	नहीं
		ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)		हाँ	नहीं
		बीएच- पीठ और कूल्हों में अकड़न/जकड़न(बैठ या झुक नहीं		नहीं	नहीं

	शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट	सकता/सकती)			
		बीएलए - दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित	नहीं	नहीं	
		ओएलए - एक पैर और एक हाथ प्रभावित	हाँ	नहीं	
		बीएलओए - दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित	नहीं	नहीं	
		सीपी - प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	नहीं	नहीं	
		एलसी - कृष्ठ रोग उपचारित	हाँ	नहीं	
		डीडब्ल्यू - बौनापन	हाँ	नहीं	
		एएवी - तेजाबी हमले से पीड़ित	हाँ	नहीं	
		एमडीवाई - मांसपेशीय दुर्विकास	नहीं	नहीं	
		एसडी - रीढ़ की हड्डी में विकृति	बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के साथ	नहीं	नहीं
		एस आई - रीढ़ की हड्डी में चोट		नहीं	नहीं
(घ)	ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, मानसिक रोग की अक्षमता	एएसडी - ऑटिज़्म स्पैक्ट्रम अक्षमता (एम=माइल्ड, एमओडी=मॉडरेट)	नहीं	नहीं	
		आईडी - बौद्धिक अक्षमता	नहीं	नहीं	
		एसएलडी- विशिष्ट लर्निंग अक्षमता	नहीं	नहीं	
		एमआई - मानसिक रोग	नहीं	नहीं	
(ङ)	खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बधिर-दृष्टिहीन सहित बहुविध अक्षमताएँ	एमडी - बहुविध अक्षमताएँ	नहीं	नहीं	

वेतनमान:

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 ।

लदाआयु :

अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष।

अनिवार्य योग्यताएं:

(क) शैक्षिक :

अंतिम वर्ष की परीक्षा में सांस्कृतिक मानव विज्ञान में पचास प्रतिशत से अधिक पेपर के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) अनुभव :

मानव विज्ञान में तीन वर्ष का शोध/अनुसंधान अनुभव।

टिप्पणियाँ:

टिप्पणी -I: उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य:

- (i) क्षेत्र संबंधी दलों का नेतृत्व करना और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में मानव शास्त्रीय जांच करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- (ii) अनुसंधान योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करना और डेटा संग्रह, डेटा का विश्लेषण और रिपोर्ट लिखने में अन्य वैज्ञानिक सदस्यों के अनुसंधान कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- (iii) विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे जाने पर ऐसे अन्य कार्य करना।

अन्य विवरण:

पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

परिवीक्षा : दो (02) वर्ष

मुख्यालय: कोलकाता। अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ।

कोई अन्य शर्तें: दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के अंतर्गत शासित/कवर किया जाएगा।

2. (रिक्ति संख्या 26030102428) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में मानव विज्ञानी (भौतिक मानव विज्ञान प्रभाग) के पद के लिए एक रिक्ति।

आरक्षण की स्थिति :

(अना.-01)

यह पद आरक्षित नहीं है बल्कि केवल पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार हैं :

1. पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्तता : 40% एवं उससे अधिक					
पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ) एवं (ङ)
		0	0	0	0
क्रम सं.	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी	पीडब्ल्यूबीडी उप- श्रेणी		उपयुक्तता (हाँ / नहीं)	आरक्षण (हाँ / नहीं)
(क)	दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि	बी - दृष्टिहीन		नहीं	नहीं

		एलवी - अल्प दृष्टि	नहीं	नहीं
(ख)	बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता	डी - बधिर	नहीं	नहीं
		एचएच - ऊंचा सुनना	हाँ	नहीं
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास, रीढ़ की हड्डी में विकृति और बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट	बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं	नहीं	नहीं
		बीए - दोनों हाथ प्रभावित	नहीं	नहीं
		ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)	हाँ	नहीं
		ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)	हाँ	नहीं
		बीएच- पीठ और कूल्हों में अकड़न/जकड़न (बैठ या झुक नहीं सकता/सकती)	नहीं	नहीं
		बीएलए - दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित	नहीं	नहीं
		ओएलए - एक पैर और एक हाथ प्रभावित	हाँ	नहीं
		बीएलओए - दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित	नहीं	नहीं
		सीपी - प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	नहीं	नहीं
		एलसी - कुष्ठ रोग उपचारित	हाँ	नहीं
		डीडब्ल्यू - बौनापन	हाँ	नहीं
		एएवी - तेजाबी हमले से पीड़ित	हाँ	नहीं
		एमडीवाई - मांसपेशीय दुर्विकास	नहीं	नहीं
		एसडी - रीढ़ की हड्डी में विकृति बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के साथ	नहीं	नहीं
एस आई - रीढ़ की हड्डी में चोट	नहीं	नहीं		
(घ)	ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, मानसिक रोग की अक्षमता	एएसडी - ऑटिज़्म स्पैक्ट्रम अक्षमता (एम=माइल्ड, एमओडी=मॉडरेट)	नहीं	नहीं
		आईडी - बौद्धिक अक्षमता	नहीं	नहीं
		एसएलडी- विशिष्ट लर्निंग अक्षमता	नहीं	नहीं
		एमआई - मानसिक रोग	नहीं	नहीं
(ङ)	खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बधिर-दृष्टिहीन सहित बहुविध अक्षमताएँ	एमडी - बहुविध अक्षमताएं	नहीं	नहीं

वेतनमान:

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 ।

आयु :

अना. के लिए 35 वर्ष ।

अनिवार्य योग्यताएँ :

(क) शैक्षिक :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में पचास प्रतिशत से अधिक पेपर भौतिक मानव विज्ञान या जैविक मानव विज्ञान में हों।

(ख) अनुभव :

मानव विज्ञान में तीन वर्ष का शोध/अनुसंधान अनुभव।

टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य :

- i) क्षेत्र संबंधी दलों का नेतृत्व करना और भौतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में मानव शास्त्रीय जांच करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- ii) अनुसंधान योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करना और डेटा संग्रहण, डेटा का विश्लेषण और रिपोर्ट लिखने में अन्य वैज्ञानिक सदस्यों के अनुसंधान कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- iii) विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे जाने पर ऐसे अन्य कार्य करना।

अन्य विवरण :

पद स्थायी हैं । सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय ।

परिवीक्षा : दो वर्ष

मुख्यालय : कोलकाता। अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ।

कोई अन्य शर्तें : दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के अंतर्गत शासित/कवर किया जाएगा।

## महत्वपूर्ण

पंजीकरण और आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में चार कार्ड/मॉड्यूल हैं, जिनमें से तीन, खाता सृजन, यूनिवर्सल पंजीकरण और सामान्य आवेदन फॉर्म सभी परीक्षा/भर्ती आवेदनों के लिए सामान्य/एक जैसे हैं और उम्मीदवार द्वारा कभी भी भरे जा सकते हैं, जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा/पद विशिष्ट है और इसे परीक्षा/पद की अधिसूचना में दी गई समय अवधि के दौरान ही भरा जा सकता है। आवेदकों को वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

एक बार जब कोई उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत हो जाता है, तो एक यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) उत्पन्न होती है जो आयोग की सभी भर्तियों के लिए सामान्य/एक जैसा है। भर्ती विशिष्ट फॉर्म भरने के बाद, आवेदन संख्या सृजित होती है जो पद/रिक्ति विशिष्ट होती है और आयोग के साथ भविष्य में किसी भी पत्राचार के लिए आवेदक को यूआरएन के साथ इसे अपने पास रखना होता है। जबकि यूआरएन यूनिक होगा और हमेशा वही रहेगा, आवेदन संख्या प्रकृति से परिवर्तनशील होगी और पोस्ट दर पोस्ट अलग-अलग होगी।

आवेदन भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने में उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने के लिए विस्तृत अनुदेश पोर्टल के होम पेज के साथ-साथ सभी मॉड्यूल के भीतर भी उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और फॉर्म भरते समय और दस्तावेज़ अपलोड करते समय एक सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ पहले से ही तैयार कर लें।

आवेदकों को सख्ती से यह सलाह दी जाती है कि वे आईडी और अन्य विवरणों के आसान, सहज और निर्बाध सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए अपने आधार कार्ड को आईडी दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करें।

( महत्वपूर्ण )

उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **28-03-2026** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं।

वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **17-04-2026** को **18:00** बजे तक है।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

**1. पात्रता की शर्तें:**

**1 नागरिकता:**

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो:

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ कोई तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी: जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

- 2 आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।
- 3 न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पृच्छताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I: निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II: प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:

- (1) “वांछनीय योग्यता (वां.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है”।
- (2) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (3) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।
- (4) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
- (5) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वां.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
- (च) भर्ती परीक्षा आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करना चाहिए।

टिप्पणी -III:-

महत्वपूर्ण
(i) चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा हो या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा. / अ.ज.जा./ पीएच -40 अंक होगा।
(ii) जिन मामलों में भर्ती परीक्षण (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात् 'भर्ती परीक्षण' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा। आरटी के मामले में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर आयोग द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जाएगा।

उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित किया जाना:

परीक्षा/पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन किए गए पद के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। भर्ती के सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन, पूरी तरह से अनंतिम होगी।

टिप्पणियां:

- 1) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) सभी मर्दों के सामने दर्शायी गई आयु सीमा ईडब्ल्यूएस/अना. उम्मीदवारों के लिए सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए पाँच वर्ष तक, अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक, और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए दस वर्ष तक की आयु सीमा की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें।

ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह अभिलेखबद्ध करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

घ) बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), रिक्ति विवरण के विभिन्न मद (मर्दों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अतः बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं:

- i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 % या इससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों।
- ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अक्षमता 40% या उससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

इ) ऐसे मामलों में, जहां विशेष रूप से आरक्षित और उनके लिए उपयुक्त निर्धारित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र, शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभव योग्यताओं में (50% तक) छूट दी जा सकती है ताकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें। यह अनुभव के वर्ष पर लागू होता है न कि अनुभव की प्रकृति पर।

च) मुख्यालय : कुछ पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी।

छ) परिवीक्षा : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

## 2. आवेदन किस प्रकार करें

i) उम्मीदवारों को <https://upsconline.nic.in/ora/> वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक/अपेक्षित है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले सामान्य अनुदेश, प्रोफाइल/माँड्यूल-वार अनुदेश और दस्तावेज़ अपलोड करने के अनुदेश पढ़ने की सलाह दी जाती है। ये अनुदेश होम पेज के मेनू बार पर उपलब्ध हैं। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को आयोग द्वारा मांगे जाने पर, जन्म तिथि, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता आदि जैसे विभिन्न दावों के समर्थन में आवश्यक जानकारी और अनुसमर्थित दस्तावेज़, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (यूआरएन), कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) और चौथे माँड्यूल, यानी परीक्षा/पद विशिष्ट माँड्यूल के साथ आवेदन करना होगा। सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करने में विफल होने पर परीक्षा/पद के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: यूआरएन प्रोफाइल के लिए एकबारगी संपादन सुविधा:

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (यूआरएन) प्रोफाइल को अपडेट या संशोधित करने के लिए एकबारगी सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन प्रोफाइल में किया गया कोई भी बदलाव पहले से प्रस्तुत किए गए आवेदनों में दिखाई नहीं देगा। अद्यतन जानकारी केवल उम्मीदवार द्वारा आवश्यक परिवर्तन करने और यूआरएन प्रोफाइल को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर लागू होगी।

टिप्पणी 2: कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर:

आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) भरते समय अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी और अपनी लाइव फोटो भी खींचनी होगी। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई तस्वीर और खींची गई लाइव तस्वीर आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> पर उपलब्ध "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न > फॉर्म भरने के लिए अनुदेश> फोटो और हस्ताक्षर" पर दिए गए अनुदेश के अनुसार स्पष्ट है।

टिप्पणी 3: हस्ताक्षर को अपलोड करना

हस्ताक्षर अपलोड करना आवेदकों को एक सादे सफेद कागज पर काली स्याही का उपयोग करके तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करना होगा और सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) भरते समय इसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर यूआरएन: <https://upsconline.nic.in/ora/> के साथ "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के तहत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने के अनुदेश का संदर्भ लें।

ii) कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के होम पेज पर फोटोग्राफ अपलोड करने, दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म भरने के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करें। आपसे अनुरोध है कि आप अनुदेशों में उल्लिखित फ़ाइल आकार का पालन करें।

iii) आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जमा करने के बाद आवेदन पत्र के किसी भी फील्ड में कोई सुधार/परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

iv) उम्मीदवारों को आवेदन में उनके द्वारा किए गए सभी दावों के समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण पत्र, जैसे जन्म तिथि, अनुभव (अधिमानत: निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (एं) आदि या कोई अन्य जानकारी, प्रत्येक दावे के सामने अलग से पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी होगी। दस्तावेज अपलोड मांड्यूल में वेतन पर्ची, बायोडाटा, नियुक्ति पत्र, कार्यमुक्ति पत्र, बिना हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने चाहिए:-

क) मैट्रिकलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो।

ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का विवरण अभिलेखबद्ध किया गया हो, की प्रतियां। इस/इन प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्ध भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर मेरिट के आधार पर विचार करेगा।

ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश में अभिलेखबद्ध की गई हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्धन किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी से

तात्पर्य उस चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

ज) किए गए किसी अन्य दावा (दावों) के लिए दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा।

v) महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

vi) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

vii) आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

viii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ix) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

x) उम्मीदवार के पास एक फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड / वोटर कार्ड (ईपीआईसी) / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र। उम्मीदवार को यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन (यूआरएन) प्रोफाइल भरते समय इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। यह फोटो पहचान पत्र भविष्य के सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाएगा और उम्मीदवार को भर्ती परीक्षण (आरटी) / व्यक्तित्व परीक्षा में शामिल होने के समय इस फोटो पहचान पत्र को साथ लाने की सलाह दी जाती है।

xi) आवेदकों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे पहचान पत्र और अन्य विवरणों के आसान, सहज और निर्बाध सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग आईडी दस्तावेज के रूप में करें।

**3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:**

वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **17-04-2026** को **18:00** बजे है।

#### 4. आवेदन शुल्क:

- (1) उम्मीदवार (महिला/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) शुल्क के रूप में 25/-रु. (पच्चीस रूपए) की राशि किसी भी बैंक के शाखा वीजा / मास्टर / रुपे क्रेडिट / डेबिट कार्ड / यूपीआई भुगतान या किसी भी बैंक से इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा के उपयोग के माध्यम से जमा करा सकते हैं।
- (2) आवेदकों को अंतिम तिथि/समय तक उपलब्ध ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग भुगतान मोड का विकल्प चुनना होगा।
- (3) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)/अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें पूरा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
- (4) निर्धारित शुल्क के बिना किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरस्तीकरण के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (5) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

#### 5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में पाँच वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को पाँच वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरा के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./ एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि को भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए :-

- (i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में:
  - सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
  - नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में :

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 8 वर्ष की छूट है) यह छूट केन्द्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय, आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केन्द्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) बैचमार्के दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट :

i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण रीढ़ की हड्डी में विकृति और रीढ़ की हड्डी में चोट जिसमें न्यूरोलॉजिकल/लिंब डिस्फंक्शन न हो, (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्त संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा “दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016” अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड(22)} के अनुसार होगी।

(इ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरटी/सीबीआरटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा :

दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को यदि उसकी इच्छा हो तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की धारा 2 (आर) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में, उन्हें स्क्राइब की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर प्रमाण-पत्र के प्रपत्र में दिये गए 'भर्ती' खंड (लिंक <https://upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas>) में उपलब्ध प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है, उम्मीदवार के पास अपना स्क्राइब लाने या फिर उसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प होगा। स्क्राइब का विवरण अर्थात स्क्राइब उम्मीदवार या फिर आयोग की ओर से है तथा स्क्राइब का विवरण (यदि स्क्राइब उम्मीदवार द्वारा लाया जा रहा है), ऑन-लाइन भरते समय मांगा जाएगा। स्क्राइब की योग्यता पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

### चेतावनी

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और यदि भर्ती परीक्षण (आरटी) आयोजित की गई हो तो उसमें उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए :

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से

विवर्जित कर सकती है।

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र ।

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाए गए दस्तावेज/प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं

होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

- 1) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो।
- 2) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।
- 3) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।
- 4) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्ध किया गया हो, की प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) को अभिलेखबद्ध भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।
- 5) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश को अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।
- 6) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।
- 7) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य उस चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/ प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।
- 8) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या विवाह विच्छेद/तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:

- (i) महिलाओं के विवाह के मामले में - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।
- (ii) महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।
- (iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - विवाह विच्छेद / तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।
- (iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिशनर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

9) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज :

- i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।
- ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।
- iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

10) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

11) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटरनेट संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से

अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है :

- 1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- 2) प्रतिरूपण किया हो, अथवा
- 3) किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरूपण करवाया गया हो, या
- 4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
- 5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- 6) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया गया हो अथवा
- 7) परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- 8) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- 9) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
- 10) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- 11) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया गया हो।
- 12) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया गया हो या करने की प्रेरणा दी गई हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन (आपराधिक अभियोग) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे:
  - i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा
  - ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :-
    - आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
    - केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी सेविवर्जित किया जा सकता है, और
  - iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

## 9. उम्मीदवारों के लिए हेल्पडेस्क:

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर **011-24041001** अथवा **011-40303444** पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी – **upscsoap@nic.in** पर मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन, आवेदन विंडो के दौरान सभी कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक प्रचालनरत रहेगी। उम्मीदवार इस सेवा का उपयोग आवेदन प्रक्रिया से संबंधित शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड करना आदि सहित किसी भी मामले के लिए कर सकते हैं।

## 10. मोबाइल फोन पर प्रतिबंध :

सं.लो.से.आ. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने योग्य किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियां आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सहायक उपकरण का उपयोग या तो चालू या स्विच ऑफ मोड में करना सख्त वर्जित है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर उल्लंघनकर्ता को भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किए जाने सहित उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर बैग, मोबाइल फोन या कोई भी मूल्यवान/महंगी वस्तु सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि परीक्षा स्थल पर सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

## 11. परीक्षा स्थल/साक्षात्कार हॉल में उम्मीदवारों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण

एक सुरक्षित और सूचारू परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल/साक्षात्कार हॉल में अनिवार्य रूप से चेहरे के प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चेहरे के प्रमाणीकरण/पहचान सत्यापन और तलाशी के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा स्थल/साक्षात्कार हॉल में प्रवेश करें।

## 12. अन्य सूचना/अनुदेश :

- 1) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कर्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 2) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

- 3) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट <https://upsconline.nic.in/ora/> में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।
- 4) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार, किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकरण को अभिलेखबद्ध (संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

#### **5) यात्रा भत्ता:**

उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक का अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करते हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।

- 6) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
- 7) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने चाहिएं। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।
- 8) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट/रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।
- 9) आयोग, साक्षात्कार के दौरान, विशेष योग्यता धारकों के रूप में निर्णीत उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।
- 10) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के प्रपत्र आयोग की राजकीय वेबसाइट <https://upsc.gov.in> पर प्रमाणपत्रों के फार्म भर्ती शीर्ष के अन्तर्गत (link <https://upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas>) उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तदनुसार भर सकते हैं।

हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में किसी प्रकार की विसंगति/भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।